प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2019 को अपराह्न 04 बजे कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन तथा लैण्ड बैंक के स्थापना हेतु जिला मुख्यालय स्तर पर 100.00 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए नये भू०अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत् अधियाचना एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में जिला भूअर्जन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– सूची संलग्न।

प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2019 को अपराह्न 04 बजे कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन तथा लैण्ड बैंक के स्थापना हेतु जिला मुख्यालय स्तर पर 100.00 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए नये भू०अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत् अधियाचना एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों एवं उप सचिव, उद्योग विभाग के साथ बैठक प्रारंभ हुई।

दिनांक 11.01.2009 को मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, आयडा की अध्यक्षता में हुए प्राधिकार के 40वीं निदेशक पर्षद की बैठक में विभिन्न जिलों में जिला मुख्यालय स्तर पर 100 एकड़ भू–अर्जन परियोजना की समीक्षा की गई एवं निदेश दिया गया कि प्रत्येक जिलों में 100 एकड़ भू–अर्जन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उक्त के आलोक में सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को अपने–अपने जिला में जिला मुख्यालय स्तर पर 100 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत 6–6 प्रतियों में विधिवत् अधियाचना एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु यह बैठक आहुत की गई है।

प्रबंध निदेशक, आयडा द्वारा बैठक में सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को कहा गया कि आयडा की 40वीं निदेशक पर्षद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार के सभी विभागों की अतिरिक्त भूमि जो भिन्न–भिन्न जिलों में पड़ी हुई है उसे आयडा में हस्तानांतरित कर एक लैंड बैंक का निर्माण किया जाएगा जो राज्य सरकार की योजना/परियोजना के लिए आयडा द्वारा आवंटित किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय हुआ कि समाहर्त्ता, लखीसराय से प्राप्त संशोधित अधियाचना जो आयडा के माध्यम से उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है उसे हस्ताक्षरित कर समाहर्त्ता, लखीसराय को अग्रत्तर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए।

बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्रांक–863 दिनांक–29.11.2013 100 एकड़ भू–अर्जन के लिए विहित प्रपत्र में अधियाचना भेजा जा चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कार्य हेतु वर्त्तमान समय में 100 एकड़ का भूखंड मिलना संभव नहीं है। एक, दो या तीन खंडों में भूमि मिलना संभव हो सकता है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा कहा गया कि पूर्व में अधियाचना आयडा को भेजी गई थी। बैठक में पुनः अद्यतन अधियाचना एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, छपरा द्वारा सूचित किया गया कि उक्त परियोजना हेतु दो या तीन खंडों में भूमि मिल जाएगा। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा कहा गया कि कटिहार–कोढ़ा नेशनल हाईवे के पास भूमि मिल सकती है। इस संदर्भ में उन्हें भूमि की विस्तृत विवरणी के साथ अधियाचना प्राक्कलन भेजने का निदेश दिया गया। भूअर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के द्वारा भी उक्त परियोजना हेतु अधियाचना एवं प्राक्कलन अविलंब उपलब्ध कराने का आश्वासन बैठक में दिया गया।

प्रबंध निदेशक, आयडा द्वारा बैठक में बताया गया कि कोईलवर से आरा के बीच 200 एकड़ भूमि एवं मुजफ्फरपुर के मड़वा में 100 एकड़ भूमि की हमें तुरंत आवश्यकता है। इस संदर्भ में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) एवं मुजफ्फरपुर को भूमि चिन्हित कर अविलंब सूचित करने का निदेश दिया गया।

जिन–जिन जिलों से पूर्व में 100 एकड़ का अधियाचना एवं प्राक्कलन आयडा को उपलब्ध कराया गया था जिसका भू–अर्जन कतिपय कारणों से नहीं हो सका। उक्त अधियाचना को अविलंब संबंधित जिलों को वापस करने का निदेश आयडा को दिया गया ताकि नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत अधियाचना एवं प्राक्कलन आयडा को प्राप्त हो सके।

प्रबंध निदेशक, आयडा द्वारा उक्त परियोजना हेतु भू–अर्जन के लिए एक मापदंड निर्धारित किया गया है:–

1. भूमि **Low Land** नहीं होनी चाहिए अर्थात जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित न हो।
2. भूमि का अधिग्रहण राज्य की राजधानी से 50 कि०मी० के अन्दर की जा सकती है। प्रमंडल स्तर पर 25 कि०मी० के परिधि में तथा जिला स्तर पर 15 कि०मी० के परिधि में की जा सकती है।
3. **State Higway/National Highway** से 01 कि०मी० के अन्दर की भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है लेकिन पहुँच पथ के लिए 40 मीटर की सड़क होनी चाहिए।
4. 25 एकड़ या उससे अधिक भूखंड का भी भू–अर्जन किया जा सकता है इसमें आयडा को कोई परेशानी नहीं है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह०/–
(उप सचिव)
उद्योग विभाग, बिहार,पटना
दिनांक– 12.02.19

ज्ञापांक– 924
5/स०आयडा भूअर्जन (जिला मुख्यालय)–01/2019
प्रतिलिपिः सभी समाहर्त्ता/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उप सचिव)
उद्योग विभाग,बिहार,पटना